प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक

स्काईलार्क वर्ल्ड स्कूल,

8 ए/एच0एस0–01, सेक्टर–बी,

वृन्दावन योजना, लखनऊ

पत्रांक–बेसिक/मान्यता/अंग्रेजी मा0/ 8334 /2018–19 दिनांक 21.12.18

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क औ अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधी विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मण्डलीय मान्य समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2018–19 से तीन वर्ष त अवधि के लिए प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 08 तक) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रद की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लि कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिव बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनि प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनु प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और व अधिनि की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

   (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही कि जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

   (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगा।

   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण प्रदान किया जाएगा।

   (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जा परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूतम अर्हताएं नही है, पाँच व अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है

   और,

   (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

H M PRINCIPAL
SKYLARK WORLD SCHOOL
S W S

MANAGER
S W S

MANAGER
SKYLARK WORLD SCHOOL

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 4884 वर्ग मीटर
   कुल निर्मित क्षेत्रफल– 5232 वर्ग मीटर
   क्रीडास्थल का क्षेत्रफल– –
   कक्षाओं की संख्या– मानकानुसार
   प्रधानाध्यापक–सहकार्यालय–सहभण्डार के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
   बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है।
   पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
   मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– –
   बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
   अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चल जाऐगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लि किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया ज चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक–606 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के स किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 अमर कान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

पृ0सं0 एवं दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ, इलाहाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

HM
SWS

PRINCIPAL
SKYLARK WORLD SCHOOL

MANAGER
SWS
MANAGER
SKYLARK WORLD SCHOOL

SKYLARK WORLD SCHOOL

8A/H.S. – 1 Sector – 8, Vrindavan Yojna, Lucknow, U.P. – 226002

Co-Ed. Senior Secondary School Affiliated to CBSE

RTE Recognition No: - 606 | UDISE Code: - 09270900523 | Affiliation No.:- 2133569 | School No.:- 71729

www.skylarkworldschool.com enquiry@skylarkworldschool.com +91- 6389201901

TO WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

This is to inform that **SKYLARK WORLD SCHOOL**, **8A/HS-01 Sector 8, Vrindavan Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh – 226002** has already got RTE Recognition from the State Education Department w.e.f. 2018-2019 and as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91** dated **8th May 2013** that provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rules of recognition, then after the completion of three years period it will be deemed that the school has got permanent recognition. The **SKYLARK WORLD SCHOOL, Lucknow - 226002** has not contradicted any rules of recognition. Hence **SKYLARK WORLD SCHOOL, Lucknow - 226002** is now permanently RTE Recognized as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No - 419/79-6-2013-18 (20)/91** dated **8th May 2013.**

MANAGER
SKYLARK W...

PRINCIPAL
SKYLARK WORLD SCHOOL